

प्रपत्र-10

परियोजना का नाम:- माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 216/2014 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग न करने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि न्यू-सोबला से सुवा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 10.800 किमी० में प्रभावित होने वाली 6.100 हे० वन भूमि के दोगुने क्षेत्र 12.200 हे० में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम सुवा तहसील धारचूला जिला पिथौरागढ़ के खाता संख्या 64 बंजर काबिल आबाद श्रेणी 9 (ड) भूमि चयनित की गयी है। चयनित भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित करने में राजस्व विभाग/ वन विभाग पूर्ण रूप से सहमत है।

ह०/-

ह०/

ह०/

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रमाणीय वनाधिकारी

जिलाधिकारी

(H)
58

Conda
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अस कोट)

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

[Signature]
(कमल सिंह विष्ट)
व० द०

[Signature]
अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि
असकोट (पिथौरागढ़)

Bhauday
उदय सिंह भण्डारी
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र.....तह०.....
जिला- पिथौरागढ़

Bak
हस्ताक्षर
धारचूला

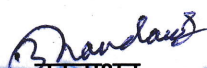
[Signature]
उप जिलाधिकारी
धारचूला

परियोजना का नाम:- माननीय मु0म0 घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य। स्वीकृत लम्बाई 10.800 किमी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल हेतु चयनित भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग न करने का प्रमाण-पत्र

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत न्यू-सोबला से सुवा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य लम्बाई 10.800 किमी0 पडने वाली 6.100 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्र 12.200 है0 सिविल भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण में राजस्व विभाग पूर्ण रूप से सहमत है।

उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ड खाता संख्या 64 उत्तराखण्ड के नाम अंकित है। नुवा सिविल क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


हस्ताक्षर
राजस्व उपनिर्देशकारी
राजस्व विभाग।
क्षेत्र.....तह0.....
जिला- पिथौरागढ़


हस्ताक्षर
वन विभाग।


हस्ताक्षर
नगरपालिका


उप जिलाधिकारी
धारचूला


(-सहायक सिविल
वी०००)